



चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों/“शक्ति दीदी” द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व “शक्ति दीदी” अभियान के तहत आज दिनांक 04.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में एण्टी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति” व “शक्ति दीदी” के सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एण्टी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनांक 04.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों, होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त जलकेश मिश्रा पुत्र बृजमोहन मिश्रा निवासी रगौली थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 118.95 ग्राम अवैध स्मैक(अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 लाख रुपये) के साथ अवैध तस्करी/बिक्री में प्रयुक्त मोटर साइकिल यू0पी0 96 एल0 8137 को लौढ़िया मोड़ बहद ग्राम सपहा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी पर धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। बरामद मोटर साइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया।

बरामदगी-

118.95 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 लाख रुपये)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.चौकी उ0नि0 श्री विवेक कुमार चौकी प्रभारी रगौली थाना कोतवाली कर्वी
- 2.आरक्षी संजय पाल
- 3.आरक्षी शुभम शर्मा
- 4.आरक्षी जयनारायण पटेरिया
- 5.महिला आरक्षी आरती देवी

(4). आज दिनांक-04.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले बैंक/वित्तीय संस्थानों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान बैंक सुरक्षा रजिस्टर को चेक किया गया एवं डियूटी में लगे पुलिसकर्मियों को सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक निर्देश दिये एवं सतर्कतापूर्वक डियूटी करने हेतु बताया गया । बैंक में लगे अलार्म/सायरन, सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण कर चेक किया गया कि सही प्रकार से कार्य कर रहे है या नहीं तथा शाखा प्रबंधकों से सुरक्षा सम्बन्धी वार्ता की गयी । बैंक परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को परिसर से बाहर कर निर्देश दिये गये ।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष राजापुर श्री पंकज तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री विदिशा भूषण द्वारा आज दिनांक 04.08.2025 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 1031/2009 धारा 323,506 भादवि0 व 07 क्रिमिनल लॉ एण्ट के आरोपी अभियुक्त 1.रामकेशन 2.श्री केशन 3.रामचरन 4.चिरौजी पुत्रगण जीवनलाल निवासी सरधुवा थाना राजापुर हाल थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व प्रत्येक को 2000-2000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।